Immediate Release

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या–2

प्रतिवेदन डाउनलोड करने हेतु क्यू.आर. कोड स्कैन करें

Immediate Release

प्रेस विज्ञप्ति

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार सरकार के सा0क्षे0उ0 पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत तैयार की गई एवं दिनांक 23.03.2021 को बिहार विधानमंडल में प्रस्तुत की गई।

इस प्रतिवेदन में भाग I के अंतर्गत ''बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा और ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ तथा भाग II के अंतर्गत सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अनुपालन लेखापरीक्षा पर आधारित छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ शामिल है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,926.66 करोड़ था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

1. 31 दिसम्बर 2018 तक लेखाओं के बकाए की स्थिति :

सा0क्षे0उ0 के प्रकार	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
सरकारी कम्पनियाँ	32	44	76
सांविधिक निगमें	03	–	03
कुल	**35**	**44**	**79**
लेखाओं के बकाये (सा0क्षे0उ0 की संख्या)	33	44	77
वर्ष से बकाये	1998–99	1977–78	–
लेखाओं की संख्या	150	1164	1314

(कंडिका 1, 1.7 और 4.8.1 से संकलित)

2. 31 मार्च 2018 को सा0क्षे0उ0 में अंश पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण के रूप में क्षेत्रवार कुल निवेश :

(₹ करोड़ मं)

क्षेत्र	अंश पूँजी (प्रतिशत)	दीर्घकालिक ऋण (प्रतिशत)	कुल (प्रतिशत)
ऊर्जा	30,353.84 (98.11 %)	7,472.19 (64.36 %)	37,826.03 (88.90)
गैर – ऊर्जा	584.49 (1.89 %)	4,138.16 (35.64 %)	4,722.65 (11.1)
कुल	30,938.33	11,610.35	42,548.68

(कंडिका 8)

3. लेखापरीक्षा प्रक्षण :

- बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य भण्डारण निगम के एक वर्ष और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 32 वर्षो की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए है।

(कंडिका 4.11)

- राज्य सरकार के पास कोई लाभांश नीति नहीं है। सात लाभ अर्जित करने वाले सा0क्षे0उ0 में से केवल दो कम्पनियों अर्थात बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ पाँच करोड़ अर्थात ₹ 93.86 करोड़ का 5.33 प्रतिशत) और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 1.05 करोड़ अर्थात ₹ 70.26 करोड़ का 1.49 प्रतिशत) ने लाभांश का भुगतान किया। इन दोनों कम्पनियों ने केवल 2015–16 में लाभांश का भुगतान किया।

(कंडिका 4.20)

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002–03 से 2005–06 के लिए बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रीक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, वर्ष 2016–17 के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, वर्ष 1994–95 से 1998–99 के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और वर्ष 2011–12 के लिए बिहार राज्य भण्डारण निगम के लेखाओं में गंभीर कमियों के कारण मन्तव्य देने से मना कर दिया।

(कंडिका 4.24 एवं 4.25)

''बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रमुख लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नवत है :

योजना

- सरकार/डिस्कॉम्स ने ऐसी कोई योजना नहीं बनायी जिससे ग्रामीण उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन और कृषि आधारित उद्योगों के वांछित भार की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

(कंडिका 2.12.1)

- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी0डी0यू0जी0जे0वाई0) के अन्तर्गत बिना वास्तविक सर्वेक्षण/आवश्यकता निर्धारण के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के कारण ₹ 1,632.67 करोड़ के परियोजना लागत की अल्पस्वीकृति हुई जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अर्थात ₹ 979.60 करोड़ के अनुदान की हानि हुई।

(कंडिका 2.12.3)

परियोजना प्रबंधन

- डिस्कॉम्स के पास दरों की अनुसूची नहीं थी और उन्होंने पिछले समान परियोजनाओं के अंतिमीकृत अनुबंध के मदवार दरों के आधार पर लागत प्राक्कलन तैयार किया। तदनुसार, भारत सरकार ने राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर0जी0जी0वी0वाई0) 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ₹ 4,959.64 करोड़[1] की 27 परियोजनाएँ स्वीकृत की। हालांकि, परियोजना को ₹ 5,882.36 करोड़ की लागत पर टर्नकी संवेदकों को प्रदान किया गया।

  इस प्रकार, डिस्कॉम्स के पास दरों की अनुसूची नहीं रहने के कारण राजकोष पर ₹ 830.47 करोड़ (₹ 922.75 करोड़[2] का 90 प्रतिशत) का अतिरिक्त भार पड़ा।

(कंडिका 2.13.4)

- डिस्कॉम्स ने परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी0एम0ए0) से संबंधित डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 के दिशा–निर्देशों से हटकर ऐसा एकरारनामा किया जिसमें योजना के निर्धारित पड़ावों की उपलब्धि पर आधारित भुगतान शामिल नहीं था और अनुबंधित मूल्य के 90 प्रतिशत के बजाय 95 प्रतिशत पर अंतरिम भुगतान शामिल

[1] स्वीकृत लागतः ₹ 5,220.67 करोड़ में से पाँच प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क घटाकर।
[2] स्वीकृत लागत (पर्यवेक्षण शुल्क हटाकर) एवं आवंटित लागत में अन्तर।

था। इसके परिणामस्वरूप पी0एम0ए0 को ₹ 24.19 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.13.8)

वित्तीय प्रबंधन

- डिस्कॉम्स बिजली की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहे, क्योंकि 2013–14 से 2017–18 के अवधि के दौरान प्रत्येक रूपये के व्यय पर अर्जित आय घटकर एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में ₹ 0.94 से ₹ 0.73 और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में ₹ 0.97 से ₹ 0.87 हो गई।

(कंडिका 2.14.1)

- डिस्कॉम (एस0बी0पी0डी0सी0एल0), आर0ई0सी0 द्वारा संवितरित निधि एवं प्राप्त निधि का समाषोधन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप आर0जी0जी0वी0वाई0 के अंतर्गत ₹ 82.04 करोड़ के निधि की कमी हो गई।

(कंडिका 2.14.5)

- डिस्कॉम्स ने पाँच वर्षों की अवधि के बीत जाने के बाद भी वैट के मद में भुगतान की गई ₹ 48.56 करोड़ की राशि का दावा बिहार सरकार से नहीं किया।

(कंडिका 2.14.8)

ग्रामीण विद्युतीकरण की कुल उपलब्धि

- यद्यपि, डिस्कॉम्स ने ग्रामीण घरों में अक्टूबर 2018 तक शत प्रतिशत विद्युतीकरण का दावा किया था, किंतु 2011 की जनगणना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण घरों की तुलना में दोनों डिस्कॉम्स में ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण के उपलब्धि की प्रतिशतता क्रमशः 70.61 प्रतिशत एवं 68.68 प्रतिशत थी।

(कंडिका 2.16.1)

- सभी 38 परियोजनाओं में शिथिल/अंतिमीकृत किए गए विद्युत संबंधों की संख्या और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में दर्शायी गई संख्या के बीच 46.93 लाख का अंतर था।

(कंडिका 2.16.2)

<u>अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण</u>

लेखापरीक्षा के मुख्य प्रेक्षण :

ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर :

- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड निविदा के माध्यम से अनुबंध करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप अप्रतिस्पर्धी दरों पर एक ही संवेदक के अनुबंध को बिहार वित्त नियम एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विस्तारित किया गया जिसके कारण उच्च ट्रेडिंग मार्जिन के रूप में ₹ 12.69 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.1)

- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियमन 2014 के अनुसार बिजली के आहरण को सीमित करने में विफलता के कारण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने ₹ 115.23 करोड़ का अतिरिक्त विचलन प्रभार वहन किया।

(कंडिका 3.2)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर :

- बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा हुडको से ₹ 193 करोड़ के ऋण की अनावश्यक निकासी के कारण ₹ 37.75 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

(कंडिका 5.1)

- कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन कर मुख्यमंत्री राहत कोष ट्रस्ट में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ₹ 10 करोड़ का अनियमित अंशदान किया गया।

(कंडिका 5.2)

- वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान आय का सही अनुमान लगाने एवं समय पर अग्रिम कर जमा करने में विफलता के कारण बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयकर पर ₹ 1.27 करोड़ के दांडिक ब्याज का भुगतान किया गया।

(कंडिका 5.3)

- बेस रेट से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर आधारित ऋण दर पर अपने ऋणों को स्थानांतरित करने में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.36 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिका 5.4)

- बिहार राज्य भण्डारण निगम द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.79 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 5.5)

- बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा फर्नीचर की खरीद में वित्तीय नियमों के उल्लंघन से आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ एवं ₹ 4.33 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 5.6)

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना

इन विषयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें :

महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार के कार्यालय के प्रवक्ता	श्री आदर्श अग्रवाल, उप महालेखाकार (ए0एम0जी0 I) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार का कार्यालय, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना – 800 001.
दूरभाष सं0 ई– मेल आई0डी0	0612–2506283 (कार्यालय) agaubihar@cag.gov.in agarwala2@cag.gov.in
मीडिया अधिकारी मो0 सं0	श्री कुन्दन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार का कार्यालय, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना – 800 001. 9431624894
कार्यालय की वेबसाईट फैक्स सं0	www.ag.bih.nic.in 0612–2506223